

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(14)/LA-2007/LJ/07/ 3329

Dated the 29 May, 2007

**NOTIFICATION**

No.F.14 (14)/LA-2007/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 23<sup>rd</sup> May, 2007 and is hereby published for general information: -

“THE DELHI PROFESSIONAL COLLEGES OR INSTITUTIONS (PROHIBITION OF  
CAPITATION FEE, REGULATION OF ADMISSION, FIXATION OF NON-EXPLOITATIVE  
FEE AND OTHER MEASURES TO ENSURE EQUITY AND EXCELLENCE) ACT, 2007  
(Delhi Act 8 of 2007)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi  
on the 23<sup>rd</sup> April, 2007).

[23<sup>rd</sup> May, 2007]

An Act to provide for prohibition of capitation fee, regulation of admission, fixation of non-exploitative fee, allotment of seats to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other socially and economically backward classes and other measures to ensure equity and excellence in professional education in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent  
and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007.



(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force with immediate effect.

Applicability.

2. The provisions of this Act shall apply to –

(a) Unaided institutions affiliated to a University imparting education in degree, diploma and certificate courses.

Definitions.

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Admission Regulatory Committee” means the committee constituted by the Government under section 4 for regulating admission in the institutions;

(b) “aided institution” means an institution receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State, Union territory, Central Government or the University Grants Commission, and includes a minority institution, as may be specified by the Government;



- (c) "capitation fees" means any amount by whatever name called whether in cash or in kind paid or collected or received directly or indirectly, in addition to the fees determined under this Act;
- (d) "common entrance test" means the entrance test conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to an institution through a single window procedure by the designated agency;
- (e) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (f) "Delhi candidate" means a candidate who has appeared or passed the qualifying examination from a recognised school or institution situated in Delhi;
- (g) "designated agency" means an agency, designated by the Government, for conducting the common entrance test and counseling for admissions in the institutions;
- (h) "fee" means all fees including tuition fee, development fee and any other fee fixed by the Fee Regulatory Committee;
- (i) "Fee Regulatory Committee" means the committee constituted by the Government under section 6 for determining the fee for admission to an institution;
- (j) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;
- (k) "Higher Education Scholarship Fund" means the fund constituted under section 15, for providing scholarship to socially and economically backward students on merit-cum-means basis;
- (l) "institution" means a college or institution, aided or unaided, affiliated to a University, imparting education in the following disciplines, namely:—



- (a) Engineering and Technology;
  - (b) Medicine, Dentistry, Pharmacy, Ayurveda, Homoeopathy, Siddha, Nursing, Para-medical and the like;
  - (c) Law and Legal Affairs;
  - (d) Management;
  - (e) Teachers Education;
  - (f) any other discipline as may be notified by the Government;
- (m) "management" means any person or body by whatever name called, managing the administration of an institution;
- (n) "management seat" means a seat to be filled up by the management of an institution, in the manner as may be prescribed;
- (o) "minority" means a minority as defined in clause (f) of section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005);
- (p) "minority institution" means an institution imparting professional education, established and administered by a minority;
- (q) "minority seats" mean seats allocated for the students belonging to the minority community, running the institution;
- (r) "non-resident Indian seat" means seat allocated for child or ward or dependant of a person of Indian origin residing outside India;
- (s) "outside Delhi candidate" means a candidate other than the Delhi candidate;
- (t) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (u) "qualifying examination" means the examination as may be prescribed as qualifying examination for the purposes of appearing in common entrance test;
- (v) "seats" mean sanctioned intake of an institution in each course of study notified by the Government;





Admission  
Regulatory  
Committee.

(w) "single window system" means the centralized system for admissions to institutions;

(x) "unaided institution" means an institution other than an aided institution;

(y) "University" means a university established under any law made by the Legislative Assembly of Delhi.

4. (1) For the purpose of conducting a common entrance test by the association of the institutions, (hereinafter referred to as "the Admission Committee"), the Government shall, by notification in the official Gazette, constitute an Admission Regulatory Committee to regulate the procedure of admission to institutions. The Admission Committee shall consist of the following members, namely: —

(a) A person retired from a post not less than the Secretary of the Government- Chairperson;

(b) A doctor or an engineer of eminence – Member;

(c) A person prominent in the field of education -Member;

(d) One of the Vice Chancellors of a University or his representative – Member;

(e) Secretary, Department of Technical Education-Member;

(f) Secretary, Department of Health- Member;

(g) Secretary, Department of Higher Education – Member-Secretary (*ex-officio*);

(h) Any other person as may be notified by the Government;

(2) The term of office of the Chairperson and the members of the Admission Committee (other than the *ex officio* members and members filling casual vacancies) shall be three years, commencing on the day following the publication of the list of members under sub-section (1):

Provided that the term of the members of the Admission Committee may be extended by the Government by notification in the official Gazette for a



period not exceeding six months at a time but, in any case, not exceeding beyond a total period of one year.

(3) The term of office of the Chairperson shall be co-terminus with the term of the Committee and no person shall hold office of the Chairperson for more than two consecutive terms.

(4) Any casual vacancy in the office of the Chairperson or a member shall be filled for the remainder of the term in accordance with sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be.

(5) The Admission Regulatory Committee may adopt its own procedure for the conduct of its business.

(6) The number of members required to make a quorum at any meeting of the Admission Regulatory Committee shall be one-third of its members.

(7) No act or proceedings of the Admission Regulatory Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

(8) All matters shall be decided by a majority of votes of the members present and, in the event of an equality of votes, the Chairperson or other person presiding shall have a casting vote.

(9) The allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and the members of the Admission Regulatory Committee shall be as may be prescribed.

(10) No person, associated with any institution, shall be eligible for being appointed as a Chairperson or member of the Admission Regulatory Committee.

(11) The Chairperson or a member of the Admission Regulatory Committee shall be removed if he does any act, which in the opinion of the Government, is unbecoming of a member of such Committee. The Chairperson or a member so removed shall not be eligible for appointment to the Admission Regulatory Committee:

Provided that no such Chairperson or member shall be removed from such Committee without providing an





opportunity of being heard.

(12) The Admission Regulatory Committee shall regulate the procedure of admission in institutions and suggest the guidelines to the Government, to ensure a fair, transparent, merit-based and non-exploitative procedure to be adopted by the Government under the provisions of this Act.

(13) The Admission Regulatory Committee may hear complaints against the institutions, with regard to contravention of guidelines suggested by the said Committee and adopted by the Government, during the admission.

(14) The Admission Regulatory Committee, after conducting reasonable inquiry, if in its opinion, the admission has been made in violation of any provision of this Act or the guidelines suggested by it and adopted by the Government, it may recommend cancellation of such admission to the concerned University.

(15) On the receipt of recommendation under subsection (14), the University shall cancel the admission of such candidates from appearing for any further examination and withhold the result of examination already appeared for by such candidate.

(16) The Admission Regulatory Committee may, after providing an opportunity of being heard, if it has reasons to believe that any institution has violated any of the provisions of this Act, rules or guidelines suggested by it and adopted by the Government, recommend to the University for withdrawal of the affiliation and the statutory body for withdrawal of recognition of such institution or any other course of action as it may deem appropriate.

(17) The Admission Regulatory Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of and/or incidental to the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any enquiry under this Act, have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of





- any document;
- (c) receiving evidence on affidavit; and
  - (d) issuing commissions for the examinations of witnesses and for local inspections and any proceeding before such committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(18) The Admission Regulatory Committee may perform any other work related to admissions as assigned to it by the Government.

Collection  
capitation  
prohibited.

of fee 5. (1) No capitation fee other than the fee, shall be collected or received by or on behalf of an institution or by any person who is in charge of or is responsible for the management of such institution from or in relation to any candidate, in consideration of his admission to or continuance in or his promotion to any course of study, in such institution.

(2) Where the Admission Regulatory Committee, on receipt of any complaint or otherwise, is satisfied that the management of an institution or any person in charge of it or is responsible for the management of such institution, has violated the provisions of subsection (1), it may, after conducting an enquiry, recommend to the Government for taking penal action against the institution or the management.

Fee Regulatory  
Committee.

6. (1) The Government, by notification in the official Gazette, shall constitute a Fee Regulatory Committee, for determination of the fee for pursuing course in an institution, consisting of the following members, namely:—

- (i) A person retired from a post not less than the Secretary of the Government-Chairperson ;
- (ii) a Chartered Accountant of repute (to be nominated by the Chairperson)-Member;
- (iii) a representative of Medical Council of India or All India Council of Technical Education, depending on institution, as the case may be -Member;
- (iv) One of the Vice Chancellors of a University or his representative-



Member;

- (v) Secretary, Department of Technical Education- Member;
- (vi) Secretary, Department of Health- Member;
- (vii) Secretary, Department of Higher Education- Member Secretary (*ex-officio*);
- (viii) Any other person as may be notified by the Government;

(2) The Fee Regulatory Committee shall adopt its own procedure for the conduct of its business:

Provided that the Fee Regulatory Committee shall give a reasonable opportunity of being heard to an institution before determining the fee to be fixed for a course of study of such institution and recommending the fee for such institution in each course of study, to the Government.

(3) The Government, after receipt of the recommendations under sub-section (2) and subject to its satisfaction, shall notify the fee determined by the Fee Regulatory Committee:

Provided that the Government may refer back the matter to the Fee Regulatory Committee along with its observations for re-consideration and during the intervening period, the institution shall charge the fee as determined by the Fee Regulatory Committee.

(4) The term of office of the Chairman and the members of the Committee (other than the *ex officio* members and members filling casual vacancies) shall be three years, commencing on the day following the publication of the list of members under sub-section (1):

Provided that the term of the members of the Fee Regulatory Committee may be extended by the Government by notification in the official Gazette for a period not exceeding six months at a time but, in any case, not exceeding beyond a total period of one year.



(5) The term of office of the Chairperson shall be co-terminus with the term of the Committee and no person shall hold office of the Chairperson for more than two consecutive terms.

(6) Any casual vacancy in the office of the Chairperson or a member shall be filled for the remainder of the term in accordance with sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be.

(7) The Fee Regulatory Committee may adopt its own procedure for the conduct of its business.

(8) The number of members required to make a quorum at any meeting of the Fee Regulatory Committee shall be one-third of its members.

(9) All matters shall be decided by a majority of votes of the members present and, in the event of an equality of votes, the Chairperson or other person presiding shall have a casting vote.

(10) No act or proceedings of the Fee Regulatory Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

(11) The allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and the members of the Fee Regulatory Committee shall be as may be prescribed..

(12) The Fee Regulatory Committee shall have power to -

(a) require each institution, to place before it, the proposed fee structure of such institution with all relevant documents and books of accounts for scrutiny well in advance of the commencement of the academic year, that is to say, not later than 31st December of the previous academic year;

(b) verify the fee proposed by such institution, whether it is justified and it does not amount to profiteering or





charging of capitation fee;

- (c) approve the fee structure or determine some other fee which can be charged by the institution.

(13) The fee notified by the Government shall be valid for three years:

Provided that the Government may extend the validity of such fee for a further period as may be notified.

(14) No person, associated with any institution, shall be eligible for being appointed as a Chairperson or member of the Fee Regulatory Committee.

(15) The Chairperson or a member of the Fee Regulatory Committee shall be removed if he does any act which, in the opinion of the Government, is unbecoming of a member of such Committee. The Chairperson or a member so removed shall not be eligible for appointment to the Fee Regulatory Committee:

Provided that no such Chairperson or member shall be removed from such Committee without providing an opportunity of being heard.

(16) The Fee Regulatory Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of and/or incidental to the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any enquiry under this Act, have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavit; and
- (d) issuing commissions for the examination of witnesses and for local inspections and any proceeding before such Committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code,





1860 (45 of 1860).  
Factors for 7. The Fee Regulatory Committee shall determine and  
determination of fix the fee or fees to be charged by an institution, on  
fee. considering the following factors, namely: -

- (a) the nature of the professional course;
- (b) the available infrastructure including allotment cost of land and opportunity cost of land if the land is owned by the institution at the time of its establishment;
- (c) the expenditure on administration and maintenance;
- (d) a reasonable surplus required for the growth and development of the college;
- (e) revenue to the institution from various sources associated with the education of students;
- (f) the excess funds generated from non-resident Indians, charity on the part of managements and contribution by the Government for providing freeship for Scheduled Castes or Scheduled Tribes students;
- (g) a reasonable surplus required for meeting any unforeseen contingencies that the institution may face and for the growth and development of the college;
- (h) any other factor as the Fee Regulatory Committee may deem fit or such other factors as may be prescribed.

Maintenance of 8. The institution shall maintain its books of accounts  
Accounts and and records for the purposes of fixation of student fees,  
Records. in such manner, as may be required by the Fee  
Regulatory Committee

Determining 9. The minority institution established and maintained  
factors for by any linguistic or religious minority shall be  
according according recognition and conferred status of a minority  
recognition and institution if it satisfies the following conditions of  
conferring status demographic equivalence between the minority  
as un-aided community to which the college belongs and the non-  
minority minority community of Delhi, taken as a single unit,  
institution. namely: —



- (a) the population of the linguistic or religious minority community which runs the institution shall be lesser than fifty per cent of the total population of Delhi;
- (b) the number of institutions run by such linguistic or religious minority community in Delhi shall be



proportionately lesser than the number of institutions run by the non-minority community;

- (c) the number of students belonging to such linguistic or religious minority community undergoing professional education in all professional colleges or institutions in Delhi shall be proportionately lesser than the number of students belonging to the non-minority community undergoing professional education in all professional colleges or institutions.

Fees not to be collected excessively.

10. (1) No institution shall collect any fee, by whatever name called from the candidate, for admission, over and above the fee determined by the Fee Regulatory Committee and notified by the Government.

(2) An institution shall not collect fee of more than one year's, in advance, from a candidate in an academic year.

Qualifying examination.

11. The Government shall notify the qualifying examination for admission to an institution.

Allocation and reservation of seats.

12. (1) In every institution, except the minority institution

- (a) subject to the provisions of this Act, ten percent. of the total seats in an unaided institution shall be allocated as management seats;
- (b) eighty five percent of the total seats, except the management seats, shall be allocated for Delhi students and the remaining fifteen percent seats for the outside Delhi students or such other allocation as the Government may by notification in the official Gazette, direct;
- (c) supernumerary seats for non-resident Indians and any other category shall be as may be prescribed.



(2) In the seats mentioned in sub-section (1), an institution shall reserve –

- (a) seventeen percent seats for the candidates belonging to the Scheduled Castes category, one percent seats for the candidates belonging to the Scheduled Tribes category and such percentage of seats, for any other category including Other Backward Classes as may be prescribed;



(b) for seats not mentioned as allocated for Delhi students in sub section(1), fifteen percent seats for candidates belonging to the Scheduled Castes category , seven and a half percent seats for the candidates belonging to the Scheduled Tribes category and such percentage of seats , for any other category as may be prescribed.

(c) subject to clause (a) and clause (b) above, three percent seats for persons with disabilities as provided in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), and, such percentage of seats for the wards of defence personnel and any other category, as may be prescribed.

Manner of admission.

of 13. An institution shall, subject to the provisions of this Act, make admission through a common entrance test to be conducted by the designated agency, in such manner, as may be prescribed:

Provided that the management seats may be advertised and filled up, from the candidates who have qualified the common entrance test, by the institution in a transparent manner based on the merit at the qualifying examination.

Admission made in contravention of this Act.

14. Any admission made in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall be void.

Higher Education Scholarship Fund.

15. The Government may by notification in the official Gazette, constitute a Fund to be called 'the Higher Education Scholarship Fund', for providing scholarship to the socially and economically backward students admitted in the institution, on merit cum means basis.

Protection of action taken in good faith.

of 16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member of the Admission Regulatory Committee or Fee Regulatory Committee or any other officer of the Government or University for anything which is done in good faith or intended to be done in good faith under this Act.





Power of the Government to issue directions. 17. The Government or any other officer specially empowered in this behalf by the Government may, from time to time, by order, issue such directions, consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, to any institution, as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act or give effect to any of the provisions contained therein or in any rules or orders made thereunder and the management of the institution shall comply with every such direction.

Offences and penalties. 18. Without prejudice to the penalty specified in any other law for the time being in force, whoever contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or, with fine which may extend to one crore rupees, or with both.

Compounding of offences. 19. (1) Any offence punishable under section 18 may be compounded by such officer or body as may be specially authorised by the Government in this behalf, either before or after the institution of the prosecution, on payment for credit to the Government of such sum as such officer or body may impose:

Provided that such sum shall not, in any case, be less than five lakh rupees and, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this Act for the offence so compounded:

Provided further that in the event of charging of excessive fee by the institution than the notified fee, the amount of compounding fee shall not be less than double the amount of fee excessively charged or five lakh rupees, whichever is higher.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person who commits the same or similar offence within a period of three years from the date on which the first offence committed by him was compounded. Explanation.-For the purposes of this sub-section, any second or subsequent offence committed after the expiry of a period of three years from the date on which the offence was previously compounded, shall be deemed to be a first offence.

(3) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in



respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

Cognizance of offence. 20. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except upon a complaint in writing made by an officer specially authorized by the Government in this behalf by a notification, for the purpose.

Power to remove difficulties. 21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, as occasion requires, but not later than two years from the date of commencement of this Act, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it necessary for removing the difficulty.

(2) Every order issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly of Delhi.

Saving existing Admission Committee and Fee Regulatory Committee for determination of fee for the academic year 2007-08. of 22. Notwithstanding anything contained in sub-section (12) of section 6, -

(a) the existing Admission Committee and State Fee Regulatory Committee, constituted by the Government shall have the power to extend the date of submission of documents and books of accounts for scrutiny for the determination and fixation of fee for the year 2007-08 in such a way as to facilitate admissions in accordance with the provisions of this Act during the academic year 2007-08. The Fee Regulatory Committee shall be competent to fix the fee provisionally for the academic year 2007-08 subject to final adjustments later.

(b) the fixation and levy of fees at the rates fixed by the Committee constituted before the date of coming into force of this Act shall be deemed to be validly fixed.

Power to make rules. 23. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) qualifying examination for the purposes of



appearing in common entrance test under clause (u) of section 3;

- (b) allowances payable and terms and conditions of service of the Chairperson and the members of the Admission Regulatory Committee under sub-section (9) of section 4;
- (c) allowances payable and terms and conditions of service of the Chairperson and the members of the Fee Regulatory Committee under sub-section (11) of section 6;
- (d) other factors of determination of fee under clause (h) of section 7;
- (e) supernumerary seats for non-resident Indians or other categories under clause (c) of sub-section (1) of section 12;
- (f) Percentage of seats for any other category including other backward classes under clause (a) of subsection (2) of section 12.
- (g) Percentage of seats to be reserved for the ward of defence personnel under clause (c) of sub-section (2) of section 12
- (h) manner of admission in institutions under section 13;
- (i) manner of filling the management seats by the management of an institution under section 13;
- (j) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modification in the rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. "

  
(Rakesh Sval)

Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)



सं. फा. 14(14)/एल0ए0-2007/एलजे/07/ 3329

दिनांक 29 मई, 2007

अधिसूचना

सं. फा. 14(14)/एल0ए-2007/- उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 23 मई, 2007 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

“दिल्ली व्यावसायिक कालेज या संस्थान (केपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का नियंत्रण, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु अन्य उपाय) अधिनियम, 2007

(2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को यथा पारित)  
[23 मई, 2007]

केपिटेशन शुल्क के निषेध, प्रवेश के नियंत्रण, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सीटों का आबंटन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यावसायिक शिक्षा में समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के उपाय तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक विषयों पर प्रावधान बनाने के लिए अधिनियम।

इसे भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ । 1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली व्यावसायिक कालेज या संस्थान (केपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का नियंत्रण, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा ।  
(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा ।  
(3) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

प्रयोजनीयता । 2. इस अधिनियम के उपबंध -  
(क) विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर सहायता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों पर लागू होगा ।  
परिभाषाएं । 3. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “प्रवेश नियमन समिति” का अर्थ है संस्थानों में प्रवेश के नियमन हेतु धारा 4 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित समिति ;

(ख) “सहायता प्राप्त संस्थान” का अर्थ है किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवृत्ति वितीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान तथा इसमें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल है ;

(ग) “केपिटेशन शुल्क” जिस किसी नाम से, नकद या वस्तु के रूप में प्रदत्त या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित या प्राप्त इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि ;

(घ) “सामूहिक प्रवेश परीक्षा” का अर्थ है किसी अभिकरण द्वारा सिंगल विंडो प्रक्रिया से किसी संस्थान में मैरिट आधारित प्रवेश के उद्देश्य हेतु प्रत्याशियों की मैरिट के निर्धारण एवं उसके पश्चात् केन्द्रीकृत काउंसलिंग के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा ;

(ङ) “दिल्ली” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ;

(च) “दिल्ली प्रत्याशी” का अर्थ है ऐसा प्रत्याशी जिसने दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या दिल्ली में स्थित संस्थान से परीक्षा दी हो या अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो ;

(छ) “अभिनामित एजेंसी” सरकार द्वारा संस्थान में प्रवेश हेतु सामूहिक प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग करवाने के लिए, अभिनामित कोई एजेंसी ;



(ज) "शुल्क" का अर्थ है सभी शुल्क जिसमें अध्यापन शुल्क, विकास शुल्क तथा शुल्क नियमन समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य शुल्क;

(झ) "शुल्क नियमन समिति" का अर्थ है किसी संस्थान में प्रवेश के शुल्क के निर्धारण के लिए धारा 6 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित समिति;

(ञ) "सरकार" का अर्थ है अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तथा संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अंतर्गत इस प्रकार अभिनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल;

(ट) "उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निधि" का अर्थ है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को मेरिट-एवं-आय आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए धारा 15 के अंतर्गत गठित निधि;

(ठ) "संस्थान" का अर्थ है निम्नलिखित विषयों में शिक्षा प्रदान करने वाला सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज या संस्थान, अर्थात् :-

(क) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी;

(ख) चिकित्सा, दन्त्य चिकित्सा, फार्मसी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, नर्सिंग, पैरा-चिकित्सा तथा अन्य विषय;

(ग) विधि एवं विधिक मामले;

(घ) प्रबंधन;

(ङ) शिक्षक शिक्षा

(च) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य शिक्षा विषय;

(ड) "प्रबंधन" का अर्थ है संस्थान के प्रशासन का प्रबंध करने वाला, किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई व्यक्ति या निकाय;

(ढ) "प्रबंधन सीट" का अर्थ है निर्धारित पद्धति से संस्थान के प्रबंधन द्वारा भरी जाने वाली सीट;

(ण) "अल्पसंख्यक" का अर्थ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में यथा पारिभाषित अल्पसंख्यक;

(त) "अल्पसंख्यक संस्थान" का अर्थ है किसी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा स्थापित और संचालित कोई संस्थान जो व्यावसायिक शिक्षा देता है;

(थ) "अल्पसंख्यक सीट" का अर्थ है संस्थान चलाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सीटें;

(द) "गैर आवासीय भारतीय सीट" का अर्थ है भारत से बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के बच्चों या आश्रित के लिए निर्धारित सीट;

(ध) "दिल्ली से बाहरी प्रत्याशी" का अर्थ है दिल्ली प्रत्याशी से अलग प्रत्याशी;

(न) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित;

(प) "अर्हक परीक्षा" का अर्थ है सामूहिक प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्हक परीक्षा के रूप में निर्धारित परीक्षा;

(फ) "सीट" का अर्थ है किसी संस्थान में प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए



सरकार द्वारा अधिसूचित स्वीकृत प्रवेश;

(ब) "सिंगल विंडो संस्थान" का अर्थ है संस्थान में प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत प्रणाली;

(भ) "गैर सहायता प्राप्त संस्थान" का अर्थ है सहायता प्राप्त संस्थान से अलग कोई संस्थान;

(म) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है दिल्ली विधानसभा द्वारा किसी कानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय।

**प्रवेश नियामक समिति।**

4.(1) संस्थान के संघ द्वारा (जिसे इसके पश्चात् "प्रवेश समिति" के रूप में उल्लिखित किया जायेगा) सामूहिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए, सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया का नियमित करने के लिए एक प्रवेश नियामक समिति का गठन करेगी। प्रवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) व्यक्ति, जो सरकार में सचिव पद से कम पर सेवानिवृत्त न हुआ हो- अध्यक्ष

(ख) प्रसिद्ध डॉक्टर या एक इंजीनियर - सदस्य

(ग) शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख एक व्यक्ति - सदस्य

(घ) विश्वविद्यालय का एक कुलपति या उसका प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) सचिव- तकनीकी शिक्षा विभाग- सदस्य

(च) सचिव, स्वास्थ्य विभाग- सदस्य

(छ) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग- सदस्य सचिव (पदेन)

(ज) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति

(2) अध्यक्ष तथा प्रवेश समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों तथा अस्थायी रिक्तियों को भरने वाले सदस्यों को छोड़कर) की कार्यावधि उपधारा (1) के अंतर्गत सदस्यों की सूची के प्रकाशन से अगले दिन से शुरू होकर तीन वर्ष होगी।

उपबंध है कि प्रवेश समिति के सदस्यों का कार्यकाल सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छह महीने तक एक समय में बढ़ाया जा सकता है परन्तु एक वर्ष की कुल अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

(3) अध्यक्ष की कार्यावधि समिति की अवधि के समाप्त होगी तथा कोई भी व्यक्ति लगातार दो वर्ष तक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय की कोई अस्थायी रिक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) जैसी भी स्थिति हो के अनुसार शेष अवधि के लिए भरी जायेगी।

(5) प्रवेश नियमन समिति अपने कार्यकलापों के निष्पादन हेतु अपनी प्रक्रिया अपना सकती है।

(6) प्रवेश नियमन समिति की किसी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की अपेक्षित संख्या इसके सदस्यों का एक तिहाई होगा।

(7) प्रवेश नियमन समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अमान्य नहीं होंगी कि इस के सदस्यों के बीच रिक्ति या रिक्तियाँ थी।

(8) सभी मामलों उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से निर्णित होंगे तथा समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले अन्य व्यक्ति का मत



निर्णायक होगा।

(9) अध्यक्ष तथा प्रवेश नियमन समिति के सदस्यों को देय भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों यथानिर्धारित रूप में होगी।

(10) किसी संस्थान से संबद्ध रखने वाला कोई व्यक्ति अध्यक्ष या प्रवेश नियमन समिति के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(11) अध्यक्ष या प्रवेश नियमन समिति के सदस्य को हटा दिया जायेगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जो सरकार की राय में उस समिति के सदस्य के लिए अशोभनीय है। हटाये गए अध्यक्ष या सदस्य प्रवेश नियमन समिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

उपबंध है कि किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को समिति से सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना हटाया नहीं जायेगा।

(12) प्रवेश नियमन समिति संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करेगी तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी, मैरिट आधारित तथा शोषण रहित प्रक्रिया के लिए सरकार को सुझाव तथा दिशा-निर्देश देगी।

(13) प्रवेश नियमन समिति संस्थान के विरुद्ध प्रवेश के दौरान उक्त समिति द्वारा सुझाव दी गई तथा सरकार द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के विषय में शिकायतें सुनेगी।

(14) प्रवेश नियमन समिति समुचित जाँच करवाने के पश्चात् यदि उसकी राय में प्रवेश इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन में या समिति द्वारा सुझाए गए तथा सरकार द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है तथा वह संबंधित विश्वविद्यालय में उस प्रवेश को निरस्त करने की सिफारिश कर सकती है।

(15) उपधारा (14) की सिफारिशें प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय उस प्रत्याशी का आगे किसी परीक्षा में प्रवेश को निरस्त कर सकता है तथा उस प्रत्याशी द्वारा पहले से दी गई परीक्षा का परिणाम रोक सकता है।

(16) प्रवेश नियमन समिति के पास सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि किसी संस्थान ने इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या समिति द्वारा सुझाए गए तथा सरकार द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है, तो विश्वविद्यालय को सम्बद्धन वापिस लेने तथा सांविधिक निकाय को उक्त संस्थान की मान्यता वापिस लेने या समुचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है।

(17) प्रवेश नियमन समिति को अपने प्रकार्यों के संपादन के दौरान पैदा होने वाले और/या प्रासंगिक सभी मामलों को नियमित करने का अधिकार है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जाँच करने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित विषयों में बाद की कार्यवाही के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी गवाह को बुलाने तथा उसकी उपस्थिति बाध्य करने तथा उसकी शपथ पर जाँच करना;

(ख) किसी दस्तावेज को खोजने तथा प्रस्तुत करने के लिए;

(ग) शपथ पत्र पर प्रमाण प्राप्त करना; और



(घ) साक्ष्यों की परीक्षाओं के लिये और स्थानीय निरीक्षणों के लिए कमीशन देना और ऐसी समिति से पूर्व कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अर्थों के अनुसार और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए एक न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(18) प्रवेश विनियामक समिति प्रवेश से संबंधित किसी अन्य कार्य को कर सकती है, जो सरकार द्वारा इसे सौंपा गया हो।

केपिटेशन  
शुल्क  
संग्रह  
पर  
प्रतिबंध।

5. (1) शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का केपिटेशन शुल्क किसी संस्था द्वारा या उसके ओर से या किसी उस व्यक्ति द्वारा किसी उस प्रत्याशी से या के संबंध में संग्रह या प्राप्त नहीं किया जाएगा जो उसका प्रभारी है या ऐसी संस्था के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी है, यह शुल्क ऐसी संस्था में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश दिलाने या अध्ययन जारी रखने या उसकी कक्षोन्नति के लिये हो।

(2) जहां प्रवेश विनियामक समिति कोई शिकायत प्राप्त करने पर या अन्यथा संतुष्ट है कि किसी संस्था के प्रबंधक या इसका प्रभारी कोई व्यक्ति ऐसी संस्था के प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है, उसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है यह जाँच कराने के उपरांत संस्था या प्रबंधकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये सरकार को सिफारिश कर सकती है।

शुल्क  
विनियामक  
समिति।

6. (1) सरकार किसी संस्था में पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये शुल्क का निर्धारण के लिये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शुल्क विनियामक समिति गठित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (i) सरकार में कम से कम सचिव के पद से सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति - अध्यक्ष
- (ii) ख्याति प्राप्त कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट (अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाये) - सदस्य
- (iii) अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि - ये संस्था पर निर्भर, जैसी भी स्थिति हो- सदस्य
- (iv) किसी विश्वविद्यालय के वाइसचांसलरों में से एक या उसका प्रतिनिधि - सदस्य
- (v) तकनीकी शिक्षा विभाग- सदस्य
- (vi) सचिव, स्वास्थ्य विभाग- सदस्य
- (vii) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग- सदस्य सचिव (पदेन)
- (viii) कोई अन्य व्यक्ति जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो

(2) शुल्क विनियामक समिति अपने कार्य संचालन के लिये अपनी पद्धति का अनुसरण करेगी।

शर्त यह है कि शुल्क विनियामक समिति एक ऐसी संस्था के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निश्चित किये जाने वाले शुल्क निर्धारित करने से पूर्व किसी संस्था को सुनवाई का एक यथोचित अवसर देगी और अध्ययन के प्रत्येक पाठ्य में ऐसी संस्था के लिये शुल्क की सिफारिश सरकार को करेगी।

(3) सरकार उपधारा (2) के अन्तर्गत सिफारिशें मिलने के उपरांत और अपनी संतुष्टि की शर्त के अधीन शुल्क विनियामक समिति द्वारा ज्ञात शुल्क अधिसूचित करेगी:-

शर्त यह है कि सरकार अपनी टिप्पणियों सहित शुल्क विनियामक समिति का मामला पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगी और अन्तरवर्ती अवधि के दौरान संस्था शुल्क विनियामक समिति द्वारा यथा ज्ञात शुल्क वसूल करेगी।

(4) समिति के अध्यक्ष और उसके सदस्यों (पदेन सदस्यों और आकस्मिक



रिक्तियों से भरे सदस्यों के अलावा) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा यह कार्यकाल उपधारा (1) के अन्तर्गत सदस्यों की सूची प्रकाशित होने के अगले दिन से शुरू होगा :-

शर्त यह है कि शुल्क विनियामक समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक बार में छह माह तक की अवधि के लिये शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकेगा लेकिन यह किसी भी स्थिति में एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक न हो।

(5) अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि तक अध्यक्ष पद पर नहीं बना रहेगा।

(6) अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में कोई भी आकस्तिक रिक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) जैसी भी स्थिति हो के अनुसार कार्यकाल की शेष अवधि के लिए भरी जायेगी।

(7) फीस विनियामक समिति अपने कार्य व्यवहार के लिए अपनी पद्धति अपना सकती है।

(8) फीस विनियामक समिति की किसी भी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या एक तिहाई होगी।

(9) सभी मामले उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुलता द्वारा निर्णित किए जाएंगे तथा मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति का एक निर्णायक मत होगा।

(10) फीस विनियामक समिति के कोई भी कार्य या कार्यवाही इसके सदस्यों के बीच रिक्ति या रिक्तियों के कारण ही अमान्य नहीं होगी।

(11) फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतान योग्य भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें यथानिर्धारित होंगी।

(12) फीस विनियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्ति होगी —

(क) शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम रूप से जाँच पड़ताल हेतु समस्त सुसंगत दस्तावेजों तथा बहिखातों सहित ऐसे संस्थान के प्रस्तावित शुल्क ढाँचे को इसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक संस्थान से अपेक्षा होगी अर्थात् पूर्व शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद नहीं।

(ख) ऐसे संस्थान द्वारा प्रस्तावित फीस का सत्यापन चाहे यह उचित हो तथा यह लाभप्रद राशि न हो या कॅपिटेशन शुल्क प्रभार हो।

(ग) शुल्क ढाँचे का अनुमोदन या अन्य शुल्क का निर्धारण जो संस्थान द्वारा प्रभारित की जा सकती है।

(13) सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया शुल्क तीन वर्षों के लिए मान्य होगा।

उपबंध है कि सरकार ऐसे शुल्क की वैधता यथा अधिसूचित आगामी अवधि के लिये बढ़ा सकती है।

(14) किसी भी संस्था से संबंधित कोई भी व्यक्ति फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(15) फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जायेगा यदि



वह ऐसा कोई कार्य करता है जोकि सरकार के मत में ऐसी समिति के किसी सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है। इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या सदस्य शुल्क विनियामक समिति में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

उपबंध है कि ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को ऐसी किसी समिति से सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना हटाया नहीं जायेगा।

(16) फीस विनियामक समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में आने वाली तथा या उससे उत्पन्न होने वाले समस्त मामलों में अपनी पद्धति विनियमित करने की शक्ति होगी तथा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की जाँच पड़ताल करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद प्रस्तुत करते समय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

- (क) किसी साक्षी को बुलाना तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ के समय उसकी जाँच करना;
- (ख) किसी भी दस्तावेज की अपेक्षा करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करना तथा
- (घ) साक्ष्यों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना तथा स्थानीय जाँचों एवं ऐसी समिति के समक्ष कोई कार्यवाही धारा 193 तथा 228 के अर्थ में एवम् भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 196 के उद्देश्य के लिए न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

शुल्क निर्धारण करने के घटक।

7. शुल्क विनियामक समिति निम्नलिखित घटकों पर विचार करने के लिए किसी संस्थान द्वारा प्रभारित किए जाने वाले शुल्क या शुल्कों का निर्धारण एवं निश्चय करेगी, अर्थात्
- (क) प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की प्रकृति;
  - (ख) उपलब्ध आधारभूत ढाँचा जिसमें भूमि की आबंटन लागत तथा भूमि की अवसर लागत सम्मिलित है यदि भूमि इसकी स्थापना के समय संस्थान द्वारा प्राप्त की गयी हो;
  - (ग) प्रशासन तथा रखरखाव पर व्यय;
  - (घ) महाविद्यालय की वृद्धि एवं विकास हेतु अपेक्षित पर्याप्त अधिशेष;
  - (ङ) छात्रों की शिक्षा से संबद्ध विभिन्न साधनों से संस्थान को राजस्व;
  - (च) एन0 आर0 आई0 (गैर आवासीय भारतीय) से प्राप्त अतिरिक्त निधि, प्रबंधन की ओर से चैरिटी तथा अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए फ्री-शिप उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अंशदान;
  - (छ) किसी भी आकस्मिक कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त अधिशेष जिसका संस्थान सामना कर सकती है तथा महाविद्यालय की वृद्धि एवं विकास हेतु;
  - (ज) अन्य कोई घटक जिसे शुल्क विनियामक समिति उचित समझे या अन्य कोई घटक जो यथानिर्धारित हो सकती है।

लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव।

8. संस्थान विद्यार्थियों के शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से शुल्क विनियामक समिति द्वारा यथा अपेक्षित पद्धति से लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

मान्यता देने के लिए घटकों का निर्धारण एवं गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक

9. किसी भी भाषा ज्ञात अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यों द्वारा स्थापित एवं पोषित अल्पसंख्यक संस्थान को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान किया जाएगा। यदि वह अल्पसंख्यक समुदाय जिससे वह महाविद्यालय संबधित है तथा दिल्ली की गैर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जिसे की एकल इकाई के रूप में लिया गया है के बीच जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक) समकक्षता की निम्नलिखित शर्तों से संतुष्ट हो, अर्थात्:-



|   |  |
|---|--|
| संस्थान के                                | (क) भाषाजात अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी जोकि  |
| रूप में दर्जा प्रदानकरना ।                | संस्था को चलाता है वह दिल्ली की कुल आबादी के 50प्रतिशत से कम होगी;<br>(ख) दिल्ली में ऐसे भाषाजात या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों की संख्या गैर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों की संख्या से अनुपातिक रूप से कम होगी;<br>(ग) ऐसे भाषाजात या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या जो दिल्ली में समस्त प्रोफेशनल महाविद्यालय या संस्थानों में प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं समस्त प्रोफेशनल महाविद्यालयों या संस्थानों में प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त कर रहे गैर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या से अनुपातिक रूप से कम होगी।  |
| अधिक शुल्क एकत्रित न किया जाना।           | 10.(1) कोई भी संस्थान किसी भी रूप में किसी भी उम्मीदवार से प्रवेश हेतु शुल्क विनियामक समिति तथा सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए शुल्क से अधिक राशि एकत्रित नहीं करेगा।<br>(2) कोई भी संस्थान किसकी भी उम्मीदवार से किसी भी शैक्षणिक वर्ष में अग्रिम रूप से एक से अधिक वर्ष के लिए शुल्क एकत्रित नहीं करेगा।   |
| अर्हता परीक्षा सीटों का आबंटन एवं आरक्षण। | 11. सरकार किसी भी संस्थान में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा अधिसूचित करेगी।<br>12.(1) अल्पसंख्यक संस्थान के अतिरिक्त प्रत्येक संस्थान में :—<br>(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी गैर सहायता प्राप्त संस्थान में कुल सीटों का दस प्रतिशत प्रबंधन सीटों के रूप में आबंटित किया जाएगा;<br>(ख) प्रबंधन सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों का 85प्रतिशत दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए तथा शेष 15 प्रतिशत सीटें दिल्ली से बाहर के विद्यार्थियों के लिए आबंटित होगी या अन्य कोई आबंटन सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेशित किए जाने के रूप में होगा;<br>(ग) सुपरन्यूमेरी सीटें गैर आवासीय भारतीयों (एनआरआई) तथा अन्य श्रेणियों के लिए यथानिर्धारित होंगी।<br>(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सीटों में कोई संस्थान:—<br>(क) अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए सत्रह प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 'एक प्रतिशत सीटें' तथा अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है, सीटों का उतना प्रतिशत आरक्षित करेगा जो यथानिर्धारित है;<br>(ख) वे स्थान, जो उपधारा (1) में दिल्ली के छात्रों के लिये नियत के रूप में उल्लिखित नहीं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिये पंद्रह प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए साढ़े सात प्रतिशत सीटें तथा सीटों का उतना प्रतिशत जो अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये यथानिर्धारित है, आरक्षित करेगा;<br>(ग) उपरोक्त खंड (क) तथा (ख) के अनुसार कोई भी संस्थान तीन प्रतिशत सीटें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करेगा जैसाकि विकलांगता(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) में यथा उपबंधित है तथा रक्षाकर्मियों के बच्चों व अन्य श्रेणी के लिए यथानिर्धारित सीटों की प्रतिशतता का आरक्षण करेगा। |
| प्रवेश पद्धति।                            | 13. कोई भी संस्थान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित पद्धति से नामानिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा आयोजित किये जाने वाले सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देगा:<br>उपबंध है कि प्रबंधन सीटों को विज्ञापित किया जाए तथा उन विद्यार्थियों में से भरा जाए जिन्होंने अर्हता परीक्षा में वरीयता के आधार पर पारदर्शी तरीके से संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  |
| इस अधिनियम                                | 14. इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन   |



के उल्लंघन में प्रवेश किया गया  
में किया गया प्रवेश अमान्य होगा।

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निधि। 15. सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को वरीयता एवं साधन के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 'उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निधि' के रूप में एक निधि का गठन कर सकती है।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। 16. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी प्रवेश विनियामक समिति या शुल्क विनियामक समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध या सरकार या विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के लिए नहीं होगा जोकि इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक किया गया हो या ऐसा करने का कोई आशय हो।

निर्देश जारी करने के लिए सरकार की शक्ति। 17. सरकार या इस संबंध में सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्राप्त अन्य कोई अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसार हों जोकि किसी भी संस्थान के लिए उसके विचार से इस अधिनियम के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक या समीचीन हों या उसमें निहित किसी उपबंध या किसी नियम या आदेशों में उचित प्रभाव डालते हों तथा संस्थान का प्रबंधन वर्ग ऐसे प्रत्येक निर्देशों का पालन करेगा।

अपराध एवं अर्थदंड। 18. तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी अर्थदंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो भी इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह सिद्धदोषी होने पर तीन वर्ष की अवधि के कारावास की सजा या एक करोड़ रुपए के अर्थदंड या दोनों सजा का भागी होगा।

अपराधों का शमन। 19(1) धारा 18 के अधीन दंडनीय अपराधों का ऐसे अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा विशेष रूप से यथाप्राधिकृत निकाय द्वारा अभियोजन प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् ऐसे अधिकारी या निकाय द्वारा लगायी गयी राशि सरकार को जमा करने पर शमन किया जा सकता है।

उपबंध है कि ऐसे राशि किसी भी स्थिति में पाँच लाख रुपयों से कम तथा अर्थदंड की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जोकि इस प्रकार शमन किए गए अपराधों के लिए इस अधिनियम के अधीन लगायी जा सकती है।

उपबंध यह और है कि संस्थान द्वारा अधिसूचित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किये जाने की स्थिति में समाधान (कम्पाउंडिंग) शुल्क की राशि वसूल किये गये अधिक शुल्क की राशि से दुगुनी राशि से कम नहीं होगी या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो।

(2) उपधारा (1) में कोई बात किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो वही या वैसा ही अपराध उस तारीख से तीन वर्षों के अन्दर करता है जिस तारीख से उसके द्वारा किये गए अपराध का शमन किया गया था।

**स्पष्टीकरण :-** इस उपधारा के उद्देश्य के लिए पिछली बार शमन किये गए अपराध की तारीख से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दूसरी बार या बार-बार किए गए अपराध को पहला अपराध समझा जायेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है वहां कोई भी कार्यवाही या आगामी कार्यवाही जैसी भी स्थिति हो इस प्रकार शमन किए



गए अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे तुरंत डिस्चार्ज किया जायेगा।

**अपराध का संज्ञान।** 20. कोई भी न्यायालय इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना द्वारा इस संबंध में सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के अतिरिक्त इस नियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

**कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।** 21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा जैसा अपेक्षित हो लेकिन इस धिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों के अंदर ऐसा कार्य कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो तथा जो उसे इन कठिनाइयों को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक आदेश जारी होने के बाद यथाशीघ्र, दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

**शैक्षिक वर्ष 2007-08 के लिये शुल्क निर्धारण के लिये वर्तमान प्रवेश समिति तथा शुल्क विनियामक समिति का बचाव।** 22. धारा 6 की उपधारा (12) में कुछ भी रहते हुए—  
(क) सरकार द्वारा गठित वर्तमान प्रवेश समिति और राज्य शुल्क विनियामक समिति के पास शैक्षिक वर्ष 2007-08 के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दाखिलों को सुविधाजनक बनाने के लिये ऐसे तरीके से वर्ष 2007-08 के लिये शुल्क को निर्धारण एवं निश्चित करने संबंधी जाँच हेतु प्रलेखों तथा लेखा बहियों को प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने की शक्ति होगी। शुल्क विनियामक समिति अन्तिम समायोजन के बाद की शर्त के अधीन शैक्षिक वर्ष 2007-08 के लिये अस्थायी रूप से शुल्क निश्चित करने के लिये सक्षम होगी।  
(ख) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व गठित समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर शुल्क को निश्चित करने और वसूल करने को वैध रूप से निश्चित माना जाएगा।

**नियम बनाने की शक्ति।** 23. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिये सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्ति का विशेष रूप से और इस की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या कुछ विषयों के लिये व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्

(क) धारा 3 के खंड (प) के अन्तर्गत सामूहिक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिये अर्हक परीक्षा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रवेश विनियामक समिति के चेयरपर्सन और सदस्यों को देय भत्ते और सेवा शर्तें;

(ग) धारा 6 की उपधारा (11) के अन्तर्गत शुल्क विनियामक समिति के चेयरपर्सन और सदस्यों को देय भत्ते और सेवा शर्तें;

(घ) धारा 7 के खंड (ज) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण के अन्य कारक;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय या अन्य श्रेणियों के लिये अतिरिक्त स्थान;

(च) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों सहित किसी अन्य श्रेणी के लिये सीटों का प्रतिशत;

(छ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अन्तर्गत रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिये आरक्षित किए जाने वाले स्थान;

(ज) धारा 13 के अन्तर्गत किसी संस्थान में प्रवेश की पद्धति


(झ) धारा 13 के अन्तर्गत किसी संस्थान की प्रबंधकारिणी द्वारा प्रबंधकारिणी के



स्थानों को भरने की पद्धति;

(त्र ) कोई अन्य विषय, जिसे निर्धारित किया जाना, आवश्यक है या हो सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे वह एक दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  
(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)